प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सतत्ताकन' [22/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 2230]

परिशिष्ट 'अ'

म०प्र० भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 129

129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक का सीमांकन – (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू-खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिह्न सन्निर्मित कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने-वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी जिनमें उन सीमा चिह्नों का, जो उपयोग में लाए जाएँगे, प्रकार विहित किया जाएगा, और सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस का उद्ग्रहण प्राधिकृत किया जाएगा।

टिप्पणियाँ

ऐ. नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 12 जनवरी 1960 में प्रकाशित ... (नियम), दिनांक 7 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 129 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए है :–

नियम

1. इन नियमों में "धारा" से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा से है।

2. यदि किसी सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंडांक का धारक अपने सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंडांक का सीमांकन और उस पर सीमा चिह्नों का निर्माण कराना चाहता है, तो वह तहसीलदार को लिखित आवेदन करेगा।

3. नियम 2 के अधीन आवेदन में निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएँगे :–

(क) आवेदनकर्ता का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान;

(ख) सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड, भू-खंडांक, जिसका सर्वेक्षण और सीमांकन होना है;

(ग) लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांकों, उपखंडों या भू-खंडांकों को प्रदर्शित करने-वाले विवरण;

[1][(गग) नियम 7 के अधीन फीस का भुगतान दर्शाने-वाली रसीद का क्रमांक तथा तारीख];

(घ) अन्य संबद्ध ब्यौरे, यदि कोई हों;

[1][4. आवेदन के साथ नियम 7 के अधीन फीस का भुगतान दर्शाने-वाली रसीद संलग्न की जाएगी।]

5. आवेदन की प्राप्ति पर तहसीलदार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए या पटवारी द्वारा रखे गए अभिलेखों के तथ्यों के आधार पर राजस्व निरीक्षक या ग्राम के पटवारी द्वारा सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंडांक की, जो भी प्रसंग हो, नाप कराएगा तथा उस पर सीमा चिह्न भी स्थिर कराएगा।

6. इन नियमों के अधीन जिसकी नाप की गई है, उस सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू-खंडांक के सीमा चिह्न धारा 124 के अधीन निर्मित नियमों में निर्दिष्ट में से किसी भी प्रकार के हो सकेंगे।

[1][7. सामग्री और श्रम के खर्च का संदाय आवेदक द्वारा किया जाएगा जो इसके अतिरिक्त सीमांकित किए गए प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड या भू-खंड (प्लाट) संख्यांक के लिए निम्नलिखित मान के अनुसार फीस का संदाय करेगा :–

पाँच एकड़ से कम नाप-वाले सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड या भू-खंड संख्यांक पर – पचास रुपए

पाँच एकड़ के ऊपर और दस एकड़ से कम नाप-वाले सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड या भू-खंड संख्यांक पर – एक सौ रुपए

दस एकड़ या उससे ऊपर के नाप-वाले सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड या भू-खंड संख्यांक पर – एक सौ पचास रुपए

[परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे आवेदक द्वारा, जो कि दस एकड़ से अनधिक कृषि-भूमि धारण करता हो, कोई फीस देय नहीं होगी।]

[2][8. नियम 7 के अधीन फीस का भुगतान संबंधित राजस्व अधिकारी को किया जाएगा, जो ऐसी फीस प्राप्त होने पर उसके द्वारा फीस प्राप्त करने की अभिस्वीकृति करते हुए तत्काल एक रसीद जारी करेगा। रसीद मध्य प्रदेश ट्रेजरी कोड, भाग दो के प्ररूप '6' में होगी।]

http://www.mphc.gov.in/case-status